(26)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/इंदौर/भू.रा./2017/3493 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–9–17 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण कमांक 356/अपील/2009–10.

बेअन्त कौर पति सुरजनसिंह
निवासी 154, बैराठी कॉलौनी, इंदौर .....आवेदिका

विरूद्ध

1– श्याम कुमार पिता हरिराम हरियाणी
2– महेश कुमार पिता हरिराम हरियाणी
निवासीगण 23, साधु नगर, इंदौर
3– म.प्र. शासन तर्फे कलेक्टर, इंदौर
4– तहसीलदार, तहसील सांवेर जिला इंदौर
5– सुरजनसिंह पिता मोरसिंह
निवासी 154, बैराठी कोठी, इंदौर .....अनावेदकगण

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री एच.एन. फड़के, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 व 2
श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 3 व 4
श्री मुकेश तारे, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 5

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/2/18 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–9–17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सांवेर जिला इंदौर के आदेश दिनांक 12–8–2010 के विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 356/अपील/2009–10 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदिका द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत

पक्षकार बनने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 13–9–17 को आदेश पारित कर उक्त आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) सर्वे कमांक 200/2 एवं 200/3 कुल रकबा 3.00 एकड़ ग्राम भंवरासला तहसील सांवेर में स्थित हैं, उनमें से सर्वे कमांक 200/2 में 1.00 एकड़ भूमि प्रकरण कमांक 1/2–अ/73–74 आदेश दिनांक 30–3–1974 से परिवर्तित भूमि है, इसमें वर्तमान में पेट्रोल पम्प स्थित । यह भूमि मुझे मेरे ससुर मोरसिंह–मिलावा सिंह से पंजीकृत वसीयत में वारिसान नाते प्राप्त हुई है ।

(2) तहसीलदार द्वारा दिनांक 18–5–2013 को वसीयत के आधार पर आवेदिका को वैध वारिस मानते हुए, उसका नामान्तरण किया गया है । नामान्तरण प्रकरण में श्याम, महेश द्वारा निराधार एवं कूटरचित दस्तावेज के आधार पर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, जो निरस्त हुई है, जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील भी निरस्त हुई है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई जो अदम पैरवी में खारिज हुई तथा इस न्यायालय में भी अपील खारिज हुई है ।

(4) इसी भूमि के सम्बन्ध में अन्य प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष चल रहा था, जिसमें मेरे द्वारा कभी भी उस प्रकरण में व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । अनावेदक श्याम एवं महेश के अधिवक्ता द्वारा जो बताया गया है, वह असत्य एवं आधारहीन है ।

(5) अनावेदक के विक्रय पत्र एवं मुख्त्यार पत्र दो प्रकार के हैं और उनका पंजीयन कमांक 1 ही है, जो कि असंभव है एवं कूटरचित, छलकपट, बेईमानी द्वारा तैयार किये गये हैं, जिसके आधार पर जे.एम.एफ.सी. के आदेश पर थाना प्रभारी सांवेर द्वारा अपराध प्रकरण दर्ज कर विवेचना जारी है, इसमें आरोपी श्याम एवं महेश की अग्रिम जमानत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त की गई है । अपर आयुक्त के समक्ष भी उपरोक्त रिकार्ड प्रस्तुत किये गये थे । राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो की शिकायत कमांक 41/09 में भी अनावेदक पर गंभीर अपराध सिद्ध पाया गया है

(6) अपर आयुक्त द्वारा आवेदिका का आवेदन पत्र इस आधार पर निरस्त किया गया है कि वह अधीनस्थ न्यायालयों में पक्षकार नहीं थी, परन्तु इस वैधानिक स्थिति पर कोई विचार नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदिका का नामान्तरण होने की जानकारी अनावेदक कमांक 1 व 2 को होने के बावजूद भी उनके द्वारा उसे अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है ।

(7) व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत आपत्तिकर्ता किसी भी स्तर पर अपने हितों की रक्षा करने के लिए पक्षकार बन सकता है, क्योंकि अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदिका के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है ।

(8) आवेदिका के हितबद्ध पक्षकार होने के बावजूद अपर आयुक्त द्वारा उसे पक्षकार नहीं बनाने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका अधीनस्थ न्यायालयों में पक्षकार नहीं थी और न ही उसका प्रश्नाधीन भूमि में कोई हित निहित है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 का आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका की ओर से ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रश्नाधीन भूमि की आवेदिका भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी है, इस कारण भी आवेदिका को पक्षकार नहीं बनाने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ अनावेदक कमांक 3 व 4 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

6/ अनावेदक कमांक 5 के विद्वान अभिभाषक द्वारा आवेदिका के तर्कों का समर्थन किया गया किया ।

7/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदिका ने अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति की थी लेकिन उसके द्वारा पक्षकार बनाये जाने का अनुरोध नहीं किया गया था । आवेदिका के पति सुरजन सिंह, अनावेदक कमांक 5 के रूप में पहले से ही पक्षकार हैं, अतः आवेदिका के हितों का संरक्षण पूर्व से ही हो रहा है, इसलिए आवेदिका को द्वितीय

अपील प्रकरण के अंतिम स्टेज पर पक्षकार बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है । अपर आयुक्त द्वारा भी आवेदिका आवश्यक पक्षकार नहीं होने से, आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–9–17 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर